


## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .624/2013 .....जिला.....अलवर.....

उनवान – मुकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री बाबूलाल एवं श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री मुकेश खण्डेलवाल ग्राम लाडका, रामगढ, अलवर बनाम राजस्थान सरकार उप पंजीयक, अलवर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2016	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्रीमती रेखा गोयल एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विदग्ध करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी जरिये विदग्धाल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> 16.2.2016 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	